

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 111 / 2012

दर्ज दिनांक:—13.06.2012

1. विजयसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. रमूली पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रतापसिंह

ओमप्रकाश चौधरी

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वर्ष 2012 से लम्बित है। बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादी सं. 1,2 की तलवी रजिस्टर एडी से अभी तक नहीं कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी

दिये गए है। दिनांक 22.06.2016 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज किये जाने की भी चेतावनी दी गई है। किन्तु पालना नहीं की गई है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादी ओ.9.नियम.5. सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

